न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

रिवीजन प्रकरण क्र. 7036-F/2015

आवेदक अयोध्या प्रसाद पिता श्री गोविंद प्रसाद, आयु 50 वर्ष, पेशा कृषि, निवासी ग्राम धमनी, तहसील पाटन एवं जिला जबलपुर, म.प्र.

विरूद्ध

अनावेदक नेमचंद जैन पिता स्व. नन्हेलाल जैन (मृत)
द्वारा वैधानिक प्रतिनिधि

1. श्रीमति केशरबाई पत्नि स्व. नेमचंद जैन, आयु लगभग 70 वर्ष, पेशा व्यापारी, निवासी बस स्टेण्ड के पास, एसडीएम बंगला के सामने, पाटन, तहसील पाटन एवं जिला जबलपुर, म.प्र.
2. अरविंद उर्फ अन्नु पिता स्व. नेमचंद जैन, आयु लगभग 50 वर्ष, पेशा व्यापारी, निवासी बस स्टेण्ड के पास, एसडीएम बंगला के सामने, पाटन, तहसील पाटन एवं जिला जबलपुर, म.प्र.

श्री अशोक तिवारी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतकार 13 AUG 2015 अधीक्षक कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

रिवीजन आवेदन अंतर्गत धारा 56(4), भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899.

यथोक्त–आवेदक न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस्, जिला जबलपुर (म.प्र.) द्वारा प्रकरण क्रमांक 977/बी–103/धारा 33/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 28/07/2015 अंतर्गत् धारा 33/40 भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के समक्ष यह रिवीजन का ज्ञापन अन्य आधारों सहित निम्नलिखित तथ्य एवं आधारों पर पेश करता है:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि, आवेदक एवं अनावेदक श्री नेमचंद जैन (श्री नेमचंद जैन की मृत्यु दिनांक 14/04/2014 को पाटन, जिला जबलपुर में हो गई. ऐसी दशा में वर्तमान् प्रकरण मृत व्यक्ति के वैधानिक प्रतिनिधियों को अनावेदकगण के रूप में संयोजित कर पेश किया गया.) के मध्य दिनांक 30/05/2012 को साक्षियों के मध्य विक्रय का अनुबंध निष्पादित हुआ था. यह अनुबंध खसरा नं. 493/2, रकवा 1.400 हे. एवं खसरा नं. I493/3 लगायत 493/9 रकवा क्रमशः 0.20, 0.20, 0.40, 0.20, 0.20, 0.20 कुल रकवा 2.800 हे. पटवारी हल्का नं. 79, बंदोवस्त नं. 43, राजस्व निरीक्षक मण्डल पाटन, ग्राम कटरा–बेलखेड़ा, तहसील पाटन एवं जिला जबलपुर के विक्रय/बाजार मूल्य 525000/– रूपये के संबंध में था. विक्रेता नेमचंद ने उपरोक्त परिणामिक के विरूद्ध क्रेता/आवेदक से 200000/– रूपये अग्रिम प्राप्त कर उपरोक्त भूमि का अधिपत्य आवेदक के पक्ष में साक्षियों के मध्य समर्पित कर दिया था. यहां उल्लेख करना समीचीन होगा कि कानून की अनभिज्ञता होने से उपरोक्त अनुबंध पांच सौ रूपये के स्टाम्प पर तैयार किया गया था, जो अपेक्षित शुल्क से कम था. उपरोक्त विक्रेता ने अनुबंध–पत्र के पालन में विक्रय–पत्र का निष्पादन एवं पंजीकरण टाल दिया था. यही नहीं, उसने उपरोक्त अनुबंध के जीवित रहते हुये श्री हीरतसिंह को अनुबंध अंतर्गत् संपत्ति का विक्रय पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 28/06/2012 के द्वारा कर दिया था. यद्यपि आवेदक के पास उपरोक्त संपत्ति का अधिपत्य यथावत् बना रहा. परिणामस्वरूप, आवेदक को विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 10, के आलोक में संविदा के विनिर्दिष्ट पालन, पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 28/06/2012 को शून्य करने संबंधी घोषणा एवं निषेधाज्ञा का दावा, जिला न्यायालय, जबलपुर में पेश करने बाध्य होना पड़ा था. यह सिविल वाद क्रमांक 26–अ/2012 के रूप में पंजीबद्ध होकर, न्यायालय दशम् अतिरिक्त जज वास्ते जिला जज, जबलपुर के न्यायालय में विचाराधीन है तथा सुनवाई हेतु दिनांक 02/09/2015 को नियत है.

2. यह कि, अनुबंध–पत्र पर वांछित शुल्क कम होने से वह साक्ष्य में स्वीकार किए जाने पर कठिनाई उत्पन्न कर सकता था. ऐसी कठिनाई को देखते हुए आवेदक स्वयं ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 के तहत् दिनांक 31/03/2013 को विचारण न्यायालय के समक्ष मांग की थी कि वह अनुबंध–पत्र पर अपेक्षित शुल्क तथा शास्ति देने तैयार है. अतः इस संबंध में योग्य आदेश पारित किया जाये. माननीय न्यायालय ने प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए आदेश दिनांक 27/06/2015 के द्वारा आवेदक के उपरोक्त

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 7036-I/15 जिला [illegible]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28.12.16	आवेदक को तीन बार पुकार लगाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं। अना. की ओर से श्री एस.एन. मुदगल उप० आवेदक को सुनवाई उपरान्त अनेक मौके के बावजूद प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पक्षकार सूचित किये जावें। अभिलेख दाखिल रिकार्ड हो। (हस्ताक्षर) सदस्य	(हस्ताक्षर) 28.12.16
(हस्ताक्षर)		

[कृ. प. उ.